

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 269/2024

अनवान : -

1. काशीराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा ।

- वादी

बनाम्

1. अनील कुमार पुत्र मुलचन्द कस्वाँ जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा ।
2. धर्मवीर कस्वाँ पुत्र मुलचन्द कस्वाँ जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: ०८/०५/२०२५

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.9950 है० भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 6.6890 है० भूमि प्रतिवादीगण के ७० हि० ७० दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जो वादी व प्रतिवादीगण के नाम अलग-अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.9950 है० भूमि में से प० नं० 419/456 (71) के किला नं. 1/1 की 0.0130 है०, 2/2 की 0.0130 है०, 13 की 0.2530 है०, 16/1 की 0.2280 है०, 16/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 17 की 0.2530 है०, 18 की 0.2530 है०, 23/1 की 0.2400 है०, 23/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता, 24/1 की 0.2400 है०, 24/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता, 25/1 की 0.2150 है० 25/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता, 25/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला एवं प० नं० 420/456 (70) किला नं. 16 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 है० व प० नं. 418/456 (72) किला नं. 5/2 की 0.012 है० यानी कुल 4.339 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ७० हि० ७० काबिज है तथा शेष भूमि पर वादी यथावत काबिज है एवं रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 6.8690 है० भूमि में से प० नं० 419/455 (68) के किला नं. 16 के मिन पूर्व की 0.025 है० गै० मु० रास्ता किला नं. 26 की 0.2280 है० 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.2530 है०, 25 के मिन पूर्व 0.025 है० गै० मु० रास्ता व 25 की 0.2280 है० प० नं० 419/456 मु० नं० 71 के किला नं. 5 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता,

उपस्थित अधिकारी
नोहर

5 की 0.2280 है० नहरी प० नं० 420/455 (69) 19 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि, प० नं० 420/456 (70) किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल 3.301 है० भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि खाता व लगान अलग अलग तकसीम करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.9950 है० भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील


नोहर के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.9950 है0 भूमि में से प0 नं0 419/456 (71) के किला नं. 1/1 की 0.0130 है0, 2/2 की 0.0130 है0, 13 की 0.2530 है0, 16/1 की 0.2280 है0, 16/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 17 की 0.2530 है0, 18 की 0.2530 है0, 23/1 की 0.2400 है0, 23/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता, 24/1 की 0.2400 है0, 24/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/1 की 0.2150 है0 25/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/3 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला एवं प0 नं0 420/456 (70) किला नं. 16 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 व प0 नं. 418/456 (72) किला नं. 5/2 की 0.012 है0 यानी कुल 4.339 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष भूमि पर वादी यथावत काबिज है एवं रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 6.8690 है0 भूमि में से प0 नं0 419/455 (68) के किला नं. 16 के मिन पूर्व की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता किला नं. 26 की 0.2280 है0 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.2530 है0, 25 के मिन पूर्व 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता व 25 की 0.2280 है0 प0 नं0 419/456 मु0 नं0 71 के किला नं. 5 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5 की 0.2280 है0 नहरी प0 नं0 420/455 (69) 19 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि, प0 नं0 420/456 (70) किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल 3.301 है0 भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है तथा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.9950 है0 भूमि में से प0 नं0 419/456 (71) के किला नं. 1/1 की 0.0130 है0, 2/2 की 0.0130 है0, 13 की 0.2530 है0, 16/1 की 0.2280 है0, 16/2 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 17 की 0.2530 है0, 18 की 0.2530 है0, 23/1 की 0.2400 है0, 23/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता, 24/1 की 0.2400 है0, 24/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/1 की 0.2150 है0 25/2 की 0.0130 है0 गै0 मु0 रास्ता, 25/3 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला एवं प0 नं0 420/456 (70) किला नं. 16 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 है0 व प0 नं. 418/456 (72) किला नं. 5/2 की 0.012 है0 यानी कुल 4.339 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 6.8690 है0 भूमि में से प0 नं0 419/455 (68) के किला नं. 16 के मिन पूर्व की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता किला नं. 26 की 0.2280 है0 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.2530 है0, 25 के मिन पूर्व 0.


 उपजम्ह अधिकारी
 नोहर

025 है0 गै0 मु0 रास्ता व 25 की 0.2280 है0 प0 नं0 419/456 मु0 नं0 71 के किला नं. 5 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5 की 0.2280 है0 नहरी प0 नं0 420/455 (69) 19 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि, प0 नं0 420/456 (70) किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल 3. 301 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम ब0 हि0 ब0 यथावत रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 269/2024

अनवान : -

1. काशीराम पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा ।

- वादी

बनाम्

1. अनील कुमार पुत्र मुलचन्द कस्वाँ जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा ।
2. धर्मवीर कस्वाँ पुत्र मुलचन्द कस्वाँ जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 269 सन 2024 निर्णय दिनांक - 08/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 18/17 के कुल खसरे 36 की कुल तादादी 6.9950 है० भूमि में से प० नं० 419/456 (71) के किला नं. 1/1 की 0.0130 है०, 2/2 की 0.0130 है०, 13 की 0.2530 है०, 16/1 की 0.2280 है०, 16/2 की 0.0250 है० गै० मु० खाला, 17 की 0.2530 है०, 18 की 0.2530 है०, 23/1 की 0.2400 है०, 23/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता, 24/1 की 0.2400 है०, 24/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता, 25/1 की 0.2150 है० 25/2 की 0.0130 है० गै० मु० रास्ता, 25/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला एवं प० नं० 420/456 (70) किला नं. 16 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 है० व प० नं. 418/456 (72) किला नं. 5/2 की 0.012 है० यानी कुल 4.339 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 6.8690 है० भूमि में से प० नं० 419/455 (68) के किला नं. 16 के मिन पूर्व की 0.025 है० गै० मु० रास्ता किला नं. 26 की 0.2280 है० 17, 18, 23, 24 प्रत्येक की 0.2530 है०, 25 के मिन पूर्व 0.025 है० गै० मु० रास्ता व 25 की 0.2280 है० प० नं० 419/456 मु० नं० 71 के किला नं. 5 की 0.0250 है० गै० मु० रास्ता, 5 की 0.2280 है० नहरी प० नं० 420/455 (69) 19 ता 24 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि, प० नं० 420/456 (70) किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल 3.301 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम ब० हि० ब० यथावत रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर